<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स
पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
जसवंतसिंह बनाम रामनिवास वगैरा
मूल दीवानी वाद संख्या 114/2018 (422/2015)</th><th>नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>30.04.2026</td><td>वादी की ओर से जूनियर अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी या उसके अधिवक्ता अनुपस्थित।

वादी की ओर से उपस्थित जूनियर अधिवक्ता से इकरारनामा मुद्राकिंत करने के संबध में दस्तावेजात बाबत पूछा गया तो वे बताने में असमर्थ रही है।

पत्रावली प्रकरण में वादग्रस्त इकरारनामा को स्टाम्पित कराने हेतु वर्ष 2021 से चली आ रही हैं किंतु आज दिनांक तक कोई प्रभावी कार्यवाही वादी द्वारा की गयी हो इस बाबत वादी की ओर से कोई ठोस अनुपालना नहीं दी गयी हैं और कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर द्वारा दिनांक 09.04.2024 को पत्र जारी कर मूल विक्रय अनुबंध के पूर्ण मुद्रांकन की कार्यवाही बाबत वादी को निर्णित वसूली राशि जमा करवाने हेतु लिखा गया हैं किंतु एक वर्ष बाद भी वादी द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण वादग्रस्त इकरारनामा मुद्राकिंत होकर वाद अग्रिम कार्यवाही की ओर अग्रसर नहीं हो पाया हैं। वादी द्वारा उक्त एक वर्ष की अवधि में राशि निर्धारित होने के बावजूद जमा नहीं करवाया जाना इसी ओर इंगित करता है कि वादी प्रकरण में कार्यवाही करने का ईच्छुक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद अदम पालना एवं अदम हाजिरी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद बाबत अनुबंध की विशिष्ट अनुपालना एवं स्थाई निषेधाज्ञा अदम पालना एवं अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद इन्द्राज व पालना दाखिल दफ्तर हो।

Vidyanand
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम–2 जयपुर जिला जयपुर</td><td></td></tr>
</table>